न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 1/2018

निर्णय दिनांक:–9.2.2018

कृष्ण पुत्र नेहनूलाल जाति जाट निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोक

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:– श्री इकबाल अहमद, वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार प्रतिपक्षी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 0.79, ख0न0 504 रकबा 1.01,ख0न0 526 रकबा 0.90 है0 कुल किता 3 कुंल रकबा 2.79 है0 वाके ग्राम भोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई पृथ्वीराज,रामगोपाल, के सयुक्त खातेदारी की पुश्तेनी आराजीयात है। प्रार्थी का नाम कृष्ण है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे सहवन से किशनलाल हो रखा है, जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व अन्य राजस्व रिकॉर्ड इत्यादि मे भी कृष्ण पुत्र नेहनू लाल ही है। राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम किशनगोपाल पुत्र नेहनु के स्थान पर कृष्ण पुत्र नेहनु दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी तहसीलदार उनियारा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब मे बताया कि दस्तावेजात के आधार पर राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात मे नाम पृथक–पृथक होना सही है। पूर्व मे भी न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिया गया है। प्रार्थी का नाम किशनगोपाल के स्थान पर कृष्ण पुत्र नेहनु दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

करने के आदेश दिये थे, परन्तु इस खाते मे दुरूस्त होने से रह गया था। उक्त नाम दुरूस्त करने से किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही होता है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 132 ग्राम भोजपुरा मे प्रार्थी का नाम किशनगोपाल पुत्र नेहनु के स्थान पर कृष्ण पुत्र नेहनुलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दिया जावे,जिससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही होता है।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण मे दिये गये जवाब व बहस का मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझता है। अतः तहसीलदार उनियारा को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 132 ग्राम भोजपुरा मे प्रार्थी का नाम किशनगोपाल पुत्र नेहनु के स्थान पर कृष्ण पुत्र नेहनुलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दिया जावे। राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करवाया जावे। तत् पश्चायत् राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

पत्रवावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो । पत्रावली दफतर दाखिल किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 9.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner